रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 1986/भाद्र 10, 1908
No. 352] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 1, 1986/BHADRA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 61/85-88

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1986

का.आ. 612(अ):—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एन.ओ. 165(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1986 में प्रकाशित खुले सामान्य लाइसेंस सं. 15/86, दिनांक 1 अप्रैल, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(क) मद सं. 5(3) में "लिपोम, लूप और कू-टी 200' को छोड़कर" शब्दों और अंकों वाली कोष्ठक को हटा दिया जाएगा।

(ख) मद सं. 16 और उसके सामने की प्रविष्टियों को निम्नलिखित मद और प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"16 (1) 16 मि.मी. या कम गेज वाली गैर काल्पनिक, शैक्षिक और शिक्षाप्रद फिल्में (वीडियो फिल्म सहित) जिन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड ने "सर्वाधिक शैक्षिक और गैर-काल्पनिक" के रूप में प्रमाणीकृत किया हो"

(2) 16 मि.मी. या कम गेज वाली काल्पनिक, शैक्षिक और शिक्षाप्रद फिल्में (वीडियो फिल्म सहित) जो 800 मीटर या कम की लम्बी हो और जिन्हें फिल्म प्रमाणीकरण केन्द्रीय बोर्ड ने सर्वाधिक शैक्षिक फिल्म प्रमाणित कर दिया हो।"

[फा.सं. आईपीसी/4/पीआरसी/24/85-88/खण्ड-3]

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

टिप्पणी :—मुख्य आदेश सं.एस ओ 165(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1986 के अधीन प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 61|85-88

New Delhi, the 1st September, 1986

S.O. 612(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments in the Open General Licence number 15|86 dated the 1st April, 1986, published under the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 165(E) dated the 1st April, 1986, namely :—

In the schedule to the said notification—

(a) in item No. 5(iii), the brackets, words, letters and figures "(other than the 1 ippos' Loop and Cu-T 200)" shall be omitted ;

(b) for item No. 16 and the entries thereagainst, the following item and entries shall be substituted, namely :—

"16(i) Non-fictional, educational and instructional films (including video films) in a gauge of 16 mm or less, certified by the Central Board of Film Certification to be "predominantly educational and non-fictional."

(ii) Fictional, educational and instructional films (including **video films**) in a guage of 16 mm or less, of 800 metres or less in length, certified by the Central Board of Film Certification to be "predominantly educational".

[F. No. IPC|4|PRC|24|85-88|Vol. III]

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

Note : The principal Order was published vide Number S.O. 165(E) dated 1st April, 1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986